226 9 आवास किराए भत्ते/प्रतिपूरक (शहर) भत्ते के प्रयोजन के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और बंगलौर को क–श्रेणी शहर के रूप में उन्नयन–संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 30.12.2004 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(49)/98–डीपीई (डब्ल्यूसी) का हवाला करने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा उपर्युक्त विषय पर व्यय विभाग का दिनांक 18.11.2004 का कार्यालय ज्ञापन सं. 2(21)/ई–II(बी)/2004 अग्रेषित किया गया था जिसमें आवास किराया भत्ता (एचआरए) और प्रतिपूरक (शहर) भत्ता (सीसीए) प्रदान करने के लिए 2001 की जनगणना के आधार पर शहरों/नगरों के पुनर्वर्गीकरण का उल्लेख किया गया है।

2. व्यय विभाग ने अपने दिनांक 31.08.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(21)/2007– ई–II (बी) और दिनांक 21.09.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(6)/07– ई–II(बी) के जरिए अब केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को एचआरए/सीसीए प्रदान करने के प्रयोजनार्थ ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और बंगलौर के 'क–1' श्रेणी के शहर के रूप में पुनर्वर्गीकरण संबंधी आदेश जारी किए हैं (प्रतिलिपि संलग्न)। यह निर्णय लिया गया है कि एचआरए/सीसीए प्रदान करने के प्रयोजनार्थ ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम और बंगलौर का पुनर्वर्गीकरण, जैसाकि व्यय विभाग के दिनांक 31.08.2007 और 21.09.2007 के कार्यालय ज्ञापनों में निहित है, क्रमशः दिनांक 01.09.2007 और 01.10.2007 से केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों में भी लागू होगा।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे पूर्ववर्ती को उनकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लोक क्षेत्र उद्यमों के नोटिस में लाए।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(49)/98–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–X, दिनांक 11 अक्टूबर, 2007)

***